

प्रश्न सं. [क. 2554]

संघ में अती दे वा का - ५/३/२०२१

मान. विभाग तथा भाग वाला

म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013

अलगानि उत्तरांग - २५५४

पीडीजु

परिकार

११

अध्याय-३ :विद्युत प्रदाय प्रणाली और उपभोक्ताओं का वर्गीकरण (System of Supply and Classification of Consumers)

विद्युत प्रदाय प्रणाली (System of Supply)

3.1 प्रत्यावर्ती विद्युत प्रवाह(Alternating Current-AC) की घोषित आवृत्ति (Frequency) 50 साईकल प्रति सेकण्ड होगी।

3.2 प्रत्यावर्ती विद्युत प्रवाह प्रदाय की घोषित वोल्टेज निम्नानुसार होगी :

(अ) निम्नदाब(Low Tension-LT)

(i) एकल फेज(Single Phase) : फेज और अनाविष्ट(neutral) के मध्य 230 वोल्ट

(ii) तीन फेज(Three Phase) : फेजों के मध्य 400 वोल्ट

(ब) उच्चदाब(High Tension-HT)-तीन फेज(Three Phase): फेजों के मध्य 11 किलोवोल्ट या 33 किलोवोल्ट.

(स) अति उच्चदाब(Extra High Tension-EHT)-तीन फेज (Three Phase): फेजों के मध्य 33 किलोवोल्ट से अधिक।

रेलवे कर्षण (Railway Traction) के लिए दो फेज पर विद्युत प्रदाय किया जा सकता है।

3.3 अनुज्ञितिधारी द्वारा वितरण प्रणाली का रूपांकन तथा संचालन पारेषण प्रणाली के सहयोजन अनुसार किया जाएगा। अनुज्ञितिधारी, उपभोक्ता के विद्युत प्रदाय के बिन्दु पर वोल्टेज की घोषित मात्रा को निम्नानुसार दी गई सीमा से अनाधिक तक का अंतर अनुज्ञेय नहीं करेगा, अर्थात्:

(अ) निम्नदाब वोल्टेज के प्रकरण में-दोनों पक्षों की ओर 6 प्रतिशत से अनाधिक तक

(ब) उच्चदाब वोल्टेज के प्रकरण में 33 किलोवोल्ट तक- उच्च पक्षीय तौर पर 6 प्रतिशत से अनाधिक तक

(स) अति उच्चदाब वोल्टेज के प्रकरण में -उच्च पक्षीय तौर पर 10 प्रतिशत से अनाधिक तक तथा निम्नपक्षीय तौर पर 12.5 प्रतिशत से अनाधिक तक

उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय की वोल्टेज (Voltage of Supply to Consumers)

3.4 विभिन्न संविदा मांगों के लिए विद्युत प्रदाय की वोल्टेज सामान्यतः निम्नानुसार होगी:

विद्युत प्रदाय वोल्टेज (Supply Voltage)	न्यूनतम संयोजित भार (Minimum Connected Load)	उच्चतम संयोजित भार अथवा संविदा मांग (Maximum Connected Load or Contract Demand)
230 वोल्ट	-	3 किलोवॉट

म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013

अनुभाग अधिकारी

फर्जी विभाग, म.प्र. शासन

भोपाल